पत्र संख्या-4(1) परिपत्र भाग-4 / 2015-16// 1718018/ 730 // वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक, 18 जुलाई, 2017

समस्त एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 25/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 28.06.2017 द्वारा केन्द्रीय बिक्री अधिनियम-1956 की धारा- 2(b) के खण्ड (d) को संशोधित करते हुए दिनांक 01.07.2017 से गुड्स को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :-

(d) "goods" means-

i. petroleum crude;

ii. high speed diesel;

iii. motor spirit(commonly known as petrol);

iv. natural gas;

v. aviation turbine fuel; and

vi. alchoholic liquor for human consumption;

इससे स्पष्ट है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम- 1956 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से उपरोक्तानुसार छः कॉमोडिटी ही "गुड्स" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956 की धारा-8(1) एवं 8(3)(b) निम्नवत् है:-

8(1) Every dealer, who in the course of inter-State trade or commerce, sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3), shall be liable to pay tax under this Act, which shall be two per cent of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate state under the sales tax law of that State, whichever is lower:

8(3)(b) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods as being intended for re-sale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or in the telecommunications network or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power;

उपरोक्त से स्पष्ट है कि "गुड्स" के रूप में परिभाषित उक्त छः कॉमोडिटी की अन्तर्राज्यीय खरीद रियायती दर से केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अधिकृत होने पर निम्नवत् स्थितियों में की जा सकती है:-

1. उक्त गुड्स की पुर्नबिक्रयार्थ,

अथवा

2. उक्त गुड्स की उक्त परिभाषित गुड्स के प्रॉसेसिंग या निर्माण के पश्चात बिक्री की जाये,

अथवा

3. उक्त गुड्स की टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रयोग के लिये,

अथवा

4. उक्त गुड्स की माइनिंग में प्रयोग के लिये,

अथवा

5. उक्त गुड्स की विद्युत अथवा शक्ति के किसी अन्य रूप में उत्पादन या वितरण के लिये।

उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

18/07/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।